प्रेस नोट

विषय- परिक्षेत्रीय अपराध समीक्षा गोष्ठी

आज दिनांक 08-08-2019 को **आई0जी0 कानपुर परिक्षेत्र श्री मोहित अग्रवाल** द्वारा परिक्षेत्रीय कैम्प कार्यालय में परिक्षेत्रीय जनपदों के पुलिस प्रभारियों के साथ मासिक समीक्षा/अपराध गोष्ठी की गयी, जिसमें श्री अनन्त देव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, श्री अनुराग वत्स, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात, श्री संतोष कुमार मिश्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा, सुश्री सुनीति पुलिस अधीक्षक औरैया, डा0 अनिल मिश्र पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ व श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह कन्नौज प्रतिभाग किया गया।

1. सभी जनपद प्रभारियों को जनपदों में एक मॉडल थाना बनाये जाने व प्रत्येक थानों पर शौचालयों व पब्लिक हेतु बैठक कक्ष का निर्माण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका निरीक्षण स्वयं सितम्बर माह में किये जाने हेतु बताया गया।

2. थानास्तर पर टॉप-10 अपराधियों का चिन्हीकरण पूर्ण सावधानी के साथ किये जाने, जिसमें केवल पेशेवर अपराधियों को ही सम्मिलित करने व इसके उपरान्त उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. सभी जनपद प्रभारियों को अपने-2 जनपदों में अभियान चलाकर सभी शस्त्र विक्रेताओं के रिकार्ड चेक कर अवैध रुप से भारी मात्रा में कारतूस खरीदने वालों के चिन्हीकरण व उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. सभी जनपद प्रभारियों को पैदल गश्त दौरान संदिग्ध वाहनों/लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने व सभ्रान्त लोगों/व्यापारियों से संवाद किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. सभी जनपदों के समाधान दिवस रजिस्टर का अवलोकन कर, समाधान दिवस रजिस्टर में उपस्थिति हेतु सभी लेखपाल आदि के नाम व समाधान दिवस पर आने वाले लोगों को पर्ची देने हेतु, रजिस्टर/पर्ची को प्रिन्ट कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

6. समाधान दिवस पर जमीन सम्बन्धि मामलों वाले लोगों को अवश्य बुला कर मौके पर ही राजस्व व पुलिस टीम भेजकर निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

7. सभी को आमामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के अति संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण/भ्रमण कर ग्राउण्ड लेवल पर कार्य किये जाने व जुलुस/यात्रा वाले मार्गों को चिन्हितकर टीम को रस्से आदि के साथ ड्यटी लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8. सभी जनपद प्रभारियों को आगामी जन्माष्टमी पर जनपदों की पुलिस लाइन/थानों पर पूर्ण रुप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

9. जनपद के एण्टी-रोमियो स्क्वाड द्वारा की गयी चेतावनी कार्यवाही के रिकार्ड रजिस्टर को व्यवस्थित/अद्यावधिक रखने, जिसका समय-समय पर अवलोकन कर ब्रीफ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।